तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कृष्ण कुमार स्वामी बनाम बृजमोहन** **प्रार्थना पत्र संख्या 48/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/159)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के नोटिस दैनिक समाचान पत्र ''दैनिक नवज्योति'' दिनांक 21.10.2023 में प्रकाशित कराये गये है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील दिनांक 30.06.2022 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत करने एवं उक्त प्रार्थना पत्र बाजदायरी 61/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/318) दिनांक 06.09.2022 को 500/–पॉच सौ रूपये की कोस्ट पर स्वीकार करने पर मूल अपील पुनः नम्बर पर ली गई किन्तु अपीलार्थी द्वारा कोस्ट की राशि राजकोष में जमा नही करवाई गई और अपीलार्थी की ओर से कोई भी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही होने पर दिनांक 17.04.2023 को अपील पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन एवं प्रकरण पर मनन करने से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलार्थी की अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नही किया गया बल्कि दो बार अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को न्यायिक दृष्टि से गुणावगुण पर निस्तारण करने के तथ्यों एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र बाजदायरी व शपथ पत्र के तथ्यों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी 1000/–एक हजार रूपये की कोस्ट पर एवं पूर्व की बाजदायरी की कोस्ट राशि 500/–पांच सौ रूपये कुल 1500/–एक हजार पॉच सौ रूपये आज की राजकोष में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट की राशि जमा कराने पर ही मूल अपील को रेस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर ली जावें एवं अग्रिम कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता हमफिता अपील रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(असलम शेर खान)** अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर।	